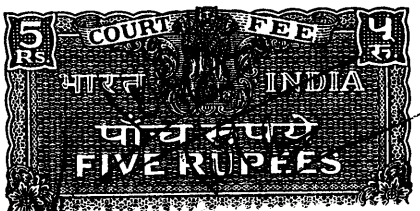

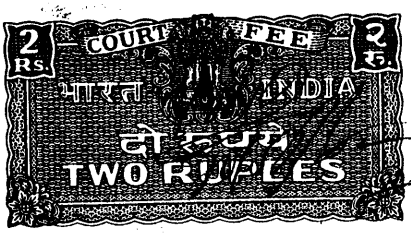

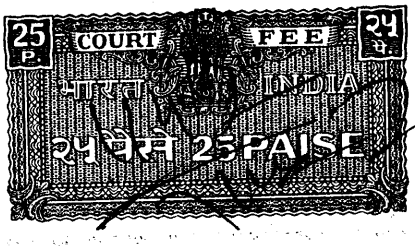

न्यायालय श्री माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

राजेश्वरी प्रसाद तनय राधिका प्रसाद (राधिका राम) उम्र 46 वर्ष, पेशा-खेती

निवासी ग्राम-पनवार चौहानन टोला, थाना सीधी तहसील-गोपद बनास,

जिला-सीधी (म0प्र0) ---------------------- आवेदक

बनाम

1-मक्खनलाल तनय पुसखुल उम्र 40 वर्ष, पेशा-खेती निवासी ग्राम-पनवार चौहान

2-देवराज उम्र 38 वर्ष तनय पुसखुल पेशा-खेती ,, ,,

3-काशीनाथ उम्र 35 वर्ष तनय पुसखुल पेशा-खेती ,, ,,

4-शिव प्रसाद तनय पुसखुल उम्र 32 वर्ष पेशा-खेती ,, ,,

5-रामकली तनय पुसखुल उम्र 25 वर्ष, पेशा-खेती ,, ,,

6-कुमारी उम्र 34 वर्ष पुत्री पुसखुल पेशा-खेती ,, ,,

7-इन्द्रा पुत्री पुसखुल उम्र 29 वर्ष पेशा-खेती ,, ,,

8-मुण्डी बेवा पत्नी पुसखुल उम्र 70 वर्ष पेशा-खेती ,, ,,

9-सोर्हाई पुत्री पुसखुल उम्र 22 वर्ष पेशा-खेती ,, ,,

10-सुखन तनय रामफल उम्र 60 वर्ष

11-यदुनाथ तनय शिवसहाय उम्र 62 वर्ष

12-रघुनाथ तनय शिव सहाय उम्र 55 वर्ष

13-उमा प्रसाद तनय राम सहाय उम्र 56 वर्ष

सभी का पेशा-खेती निवास निवासी ग्राम-पनवार चौ टोला, तहसील-गोपद बना

जिला-सीधी (म0प्र0) ---------------------- अनावेदक

निगरानी याचिका विरुद्ध आदेश श्री मा

अतिरिक्त कमिश्नर महोदय रीवा सम्भा

रीवा प्रकरण क्रमांक-655/अपील/87-88

आदेश दिनांक 20-5-96, जिसके द्वारा

नस्थ न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर महो

ने अवैधानिक तरीके से निष्कर्ष निकालते

typed under my instructions in my office

20-6-96

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी– 22–~~दो~~ तीन/96 जिला– **सीधी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
6/2/17	आवेदक की ओर से श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 655/अपील/86–87 में पारित आदेश दिनांक 20.5.96 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक की ओर से श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित होकर उनके द्वारा माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायालय वर्ग–2 सीधी के द्वारा सिविल वाद कमांक 232/01 में पारित आदेश दिनांक 21.3.02 की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनका व्यवहार न्यायालय में राजीनाम हो चुका है। अनावेदक की ओर से श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रति के परिप्रेक्ष्य में राजीनामा होने के कारण उनको कोई आपत्ति नहीं है। 3– अतः माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायालय वर्ग–2 सीधी के द्वारा सिविल वाद कमांक 232/01 में पारित आदेश दिनांक 21.3.02 राजीनामा होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	